झारखंड औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार (जियाडा) निदेशक मंडल की 10वीं बैठक

चर्चा में क्यों?

28 मार्च, 2022 को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में झारखंड मंत्रालय के सभाकक्ष में झारखंड औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार (जियाडा) के निदेशक मंडल की 10वीं बैठक संपन्न हुई। बैठक में कुल 24 प्रस्तावों पर चर्चा की गई।

प्रमुख बिंदु

- बैठक में झारखंड औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार विनियमन-2016 के अंतर्गत आंशिक भूमि के लीजहोल्ड राइट्स ट्रांसफर के मामले में वर्तमान प्रचलित वर्ष में निर्धारित भूमि मूल्य का 100 प्रतिशत शुल्क प्राप्त कर स्थानांतरण की स्वीकृति दी गई।
- जियाडा के अंतर्गत चारों प्रक्षेत्र- राँची, बोकारो, आदित्यपुर एवं संथाल परगना में निर्माण क्षेत्र से सेवा क्षेत्र अथवा वाणिज्यिक क्षेत्र में परिवर्तन के पश्चात् भूमि मूल्य, लगान, रख-रखाव इत्यादि मद में वृद्धि की स्वीकृति दी गई।
- वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिये प्राधिकार के बजट की स्वीकृति भी दी गई।
- धनबाद ज़िला के निरसा अंचल के गोपालगंज ग्राम में जियाडा को हस्तांतरित 34.07 एकड़ भूमि, जो लेदर पार्क/फुटवियर पार्क के उद्योगों की स्थापना हेतु आरक्षित है, को अनारक्षित कर सामान्य श्रेणी के उद्योगों की स्थापना हेतु करनांकित करने की स्वीकृति दी गई।
- जियाडा के अंतर्गत राँची प्रक्षेत्र अवस्थित सोसई औद्योगिक क्षेत्र में फूड प्रोसेसिंग, हेचरी, एग, मीट प्रोसेसिंग हेतु आरक्षित आवंटित भूमि में से शेष भूमि को आवंटन हेतु अनारक्षित करने की स्वीकृति दी गई।
- बैठक में कई अन्य महत्त्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा हुई तथा कई प्रस्तावों पर घटनोत्तर स्वीकृति भी दी गई। मौके पर मुख्यमंत्री ने जियाडा बोकारो प्रक्षेत्र की वेबसाइट का शुभारंभ भी किया।

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/jharkhand-industrial-area-development-authority-jiada